[P-1] उपनिधाता के कर्तव्य एवं दायित्व
[redacted] Duties and liabi

[P-1] उपनिधाता के कर्तव्य एवं दायित्व (Duties and liabilities of Bailor)

उपनिधान के अन्तर्गत Bailor के कर्तव्य एवं दायित्व भी निर्धारित है जो इस प्रकार है –

(1) माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य → धारा 150 Bailor उपनिहित माल की त्रुटियों को Bailee से प्रकट करने के लिए आबद्ध है जिनकी जानकारी Bailor को हो जो उसके उपयोग में तत्काल विघ्न डालती हो या उपनिहिती को असाधारण जोखिम में डालती हो और यदि वो ऐसा प्रकटीकरण नहीं करता है तो वह Bailee की ऐसी त्रुटियों से प्रत्यक्षतः नुकसान के लिए उत्तरदायी है। यदि माल भाड़े पर उपनिहित किया गया हो तो Bailor ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी है चाहे उपनिहित माल की ऐसी त्रुटियों के अस्तित्व से वह परिचित था या नहीं। उदाहरण के लिए क एक घोड़ा ख को उधार देता है, जिसका दुष्ट होना वह जानता है, फिर भी क इस तथ्य को [redacted]

P-2 उपनिधाता के कर्तव्य एवं दायित्व
(Duties and Liabilities of Bailor)

प्रकट नहीं किया कि घोड़ा दुष्ट है। ख ऐसे ही घोड़ा को तैयार करता है घोड़ा भाग खड़ा होता है और ख को गिरा देता है और ख को हानि हो जाती है। क ख को उस नुकसान के लिए उत्तरदायी है। कहने का तात्पर्य यह कि Bailor का कर्तव्य होता है कि वह उपनिहित वस्तु में वर्तमान दोषों को जिसका उसे ज्ञान है Bailee को अवगत कराना उसका कर्तव्य और दायित्व है। कर्तव्य की सीमा निर्धारण के लिए Bailor को दो श्रेणियों में रखा जाता है -

(i) निःशुल्क उपनिधाता (ii) सशुल्क उपनिधाता

(1) निःशुल्क उपनिधाता → निःशुल्क Bailor से तात्पर्य उस Bailor से है जो बिना किसी शुल्क के अपना माल दूसरे को परिदत्त करता है। इसलिए उसके कर्तव्य का स्तर कम है। उसका कर्तव्य केवल उन्हीं दोषों से अवगत कराना है जिनका कि उसको ज्ञान हो तथा जिसके प्रयोग से Bailee को हानि हो। अगर वह त्रुटि से अवगत करा देता है तो उसके प्रति उसका दायित्व नहीं समाप्त हो जाता है।

(2) सशुल्क उपनिधाता → सशुल्क Bailor वह है जो उपनिहित की गई वस्तु के बदले में प्रतिफल प्राप्त करता है, जैसे लाभ के लिए वस्तु को किराये पर देना। इसलिए उसके कर्तव्य का स्तर अत्यधिक है। उपनिधाता का परम कर्तव्य है कि किराये पर दी जाने वाली वस्तु को उसके योग्य बनाये अर्थात वस्तु को समस्त दोषों से मुक्त एवं प्रयोग के युक्त बनाये। वह इस आधार पर कि बताना नहीं बता सकता कि वस्तु के वर्तमान दोष का उसे ज्ञान नहीं था, उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं पा सकता।

इससे सम्बन्धित वाद हाइमन एण्ड वाइफ बनाम नाई एण्ड सन्स में प्रतिवादी ने वादी को अपनी घोड़ा गाड़ी सैर करने के लिए किराये पर दिया। पहिये के नीचले हिस्से का एक बोल्ट निकल जाने के कारण घोड़ा गाड़ी गिर गयी, जिससे वादी को चोट आयी। न्यायालय ने प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराते हुए यह स्पष्ट किया कि किराये पर देने वाला Bailor का यह कर्तव्य है वह घोड़ा गाड़ी को ऐसी स्थिति में रखे कि वह Bailment के उद्देश्य को पूरा कर सके।

Scanned with CamScanner

P-3 उपनिधाता के कर्तव्य एवं दायित्व (Duties and liabilities of Bailor)

(2) आवश्यक व्ययों को चुकाने का कर्तव्य (धारा 158)

यदि Bailment की शर्तों के अनुसार Bailee द्वारा Bailor के लिए माल रखा जाता है या प्रवहण किया जाता है या उस पर कार्य करवाया जाता है और Bailee को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में Bailor Bailee को उसके द्वारा Bailment के प्रयोजन हेतु उपगत आवश्यक व्ययों का प्रतिसंदाय करेगा।

(3) क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य (धारा 159)

उपनिधान का उद्देश्य पूर्ण होने पर वस्तुएँ प्रत्यावर्तन योग्य (Returnable) होती हैं। इस धारा के अन्तर्गत निःशुल्क उपनिधान के मामले में एक निश्चित समय और उद्देश्य के लिए दी गई वस्तुएँ Bailor की इच्छा पर किसी भी समय वापस मांगी जा सकती हैं। यदि उपनिधान की समाप्ति उक्त तरीके से की जाती है जिससे Bailee को उस समय में वस्तुओं के प्रयोग से प्राप्त लाभ से अधिक हानि होती है तो Bailor क्षतिपूर्ति देने का जिम्मेदार होगा।

(4) प्रतिकर देने का कर्तव्य एवं दायित्व (धारा 164)

Bailor Bailee की ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी है जो Bailee इस कारण उठाए कि Bailor Bailment करने या माल को वापस लेने या उसके सम्बन्ध में निर्देश देने का हकदार नहीं था। Bailment के अन्तर्गत यदि Bailee को Bailor के अपूर्ण स्वत्व या हक के कारण हानि होती है तो इसके लिए Bailor उत्तरदायी होगा।

Scanned with CamScanner